प्रेस नोट जनपद बदायूँ - दिनांक 25.05.2026

#OperationConviction

> *पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेश से संचालित "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के पर्यवेक्षण में बदायूँ पुलिस की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म करने वाले एक अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा व 3,20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

थाना दातागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 165/2023 धारा 376,384,506 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट बनाम पिंकू पुत्र दुलार श्रीवास्तव निवासी कांसी थाना दातागंज, बदायूँ की विवेचना विवेचक निरीक्षक श्री सौरभ सिंह द्वारा पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-I कोर्ट, बदायूँ में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय,उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार आरक्षी राहुल कुमार द्वारा मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-I कोर्ट, बदायूँ में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 25.05.2026 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-I कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त पिंकू को धारा 376,384,506 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट में 10 वर्ष के कारावास के दण्ड व 3,20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी राहुल कुमार एवं विवेचक निरीक्षक श्री सौरभ सिंह तथा लोक अभियोजक श्री मदनलाल राजपूत का योगदान सराहनीय रहा।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।